भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-512
उत्तर देने की तारीख-07/02/2024

विश्वविद्यालयों में बैकलॉग ओबीसी एवं एससी, एसटी के रिक्त पद

512 # श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 में इस संबंध में कानून पारित होने के बाद से अब तक विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण कोटा के तहत भरे गए एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की रिक्तियों का वर्ष-वार और विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) गत पाँच वर्षों में इन विश्वविद्यालयों में भरे गए ओबीसी एवं एससी, एसटी की बैकलॉग रिक्तयों का पद-वार और विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) सामान्य रिक्तियों और ओबीसी एवं एससी, एसटी श्रेणियों की बैकलॉग विश्वविद्यालयों की रिक्तियों का पद-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) ओबीसी एवं एससी, एसटी तथा ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटा के तहत बैकलॉग रिक्तियों को नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (घ): केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 को दिनांक 09.07.2019 को अधिसूचित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती में पदों के आरक्षण का प्रावधान है। यह अधिनियम आरक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग विभागों के बजाय विश्वविद्यालय/केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था को संवर्ग अथवा इकाई मानकर नियुक्ति में पदों के आरक्षण के संबंध में कठिनाई को दूर करता है। इस अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.07.2019 की एक अधिसूचना जारी की गई है जो यह निर्दिष्ट करती है कि दिनांक 31 जनवरी, 2019 के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था./(आरइएस) में विनिर्दिष्ट तरीके से केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान में शिक्षक संवर्ग में स्वीकृत संख्या में से सीधी भर्ती में पदों के आरक्षण की सीमा निम्नानुसार है: -

क. अनुसूचित जातियों के लिए पंद्रह प्रतिशत;

ख. अनुसूचित जनजातियों के लिए साढ़े सात प्रतिशत;

ग. सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सत्ताईस प्रतिशत; और

घ. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस प्रतिशत।

पदों का रिक्त होना और उन्हें भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। ये रिक्तियां, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण अतिरिक्त आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती हैं। पद को भरने का दायित्व केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का है जो संसद के अधिनियमों के तहत सृजित स्वायत्त निकाय हैं। सितंबर, 2022 से अब तक विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से 6420 से अधिक संकाय पद भरे गए हैं, जिनमें से 920 पद अनुसूचित जाति (एससी), 457 अनुसूचित जनजाति (एसटी), 1502 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), 339 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और 181 बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) द्वारा भरे गए हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को मिशन मोड में नियमित भर्ती अभियानों के माध्यम से रिक्तियों को भरने का निदेश दिया गया है।

*****